मुसलमान किसे कहते हैं ?

मुसलमान भाइयों! आज मैं आपके सामने मुसलमान की सिफ़ात (ख़ूबियॉ) बयान करूँगा, यानी यह बताऊँगा कि मुसलमान होने के लिये कम से कम शर्तें क्या हैं और आदमी को कम से कम क्या होना चाहिये कि वह मुसलमान कहलाए जाने के क़ाबिल हो।

कुफ़्र क्या है और इस्लाम क्या है ?

इस बात को समझने के लिये सबसे पहल आपको यह जानना चाहिये कि कुफ़्र क्या है और इस्लाम क्या है ? कुफ़्र यह है कि आदमी ख़ुदा की फ़रमॉबरदारी से इनकार कर दे और इस्लाम यह है कि आदमी सिर्फ़ ख़ुदा का फ़रामॉबरदार हो और हर ऐसे तरीक़े या क़ानून या हुक्म को मानने से इनकार कर दे जा ख़ुदा की भेजी हुई हिदायत के खिलाफ हो। इस्लाम और कुफ़्र का यह फ़र्क़ कुरआन मजीद में साफ–साफ़ बयान कर दिया गया है। कहा गया ––

..... ख़ुदा की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक़ फ़ैसला न करें, ऐसे लोक ही दरअसल काफिर हैं। (कुरआन, 4.4)

फ़ैसला करने से यह मुराद नहीं है कि अदालत में जो मुक़दमा जाए बस उसी का फ़ैसला ख़ुदा की किताब के मुताबिक़ हो, बल्कि दरअसल इससे मुराद वह फ़ैसला है जो हर शख़्स अपनी ज़िन्दगी में हर वक़्त किया करता है। हर मौके पर आपके सामने यह सवाल आता है कि फ़लॉं काम किया जाय य न किया जाए ? फ़लॉं बात इस तरह की जाए या उस तरह की जाए? फ़लॉं मामले में यह तरीक़ा अपनाया जाए या वह तरीक़ा अपनाया जाए ? ऐसे तमाम मौक़ो पर एक तरीक़ा खुदा की किताब और उसके रसूल (सल्ल0) की सुन्नत बताती है, और दूसरा तरीका इनसान के अपने मन की ख़्वाहिशें या बाप–दादा की रसमें या इनसान के बनाए हुए कानून बताते हैं। अब जो शख़्स ख़ुदा के बताए हुए तरीके को छोड़कर किसी दूसरे तरीके के मुताबिक़ काम करने का फ़ैसला करता है, वह दरअसल कुफ़्र का तरीक़ा इख़तियार करता है।.....

इस्लाम इसके सिवा कुछ नहीं है कि आदमी सिर्फ खुदा का बन्दा हो–– न नफ़्स का बन्दा, न बाप–दादा का बन्दा, न ख़ानदान और कबीले का बन्दा, न मौलवी साहब और पीर साहब का बन्दा, न जमींदार साहब, तहसीलदार साहब और मजिस्ट्रेट साहब का बन्दा, न खुदा के सिवा किसी और साहब का बन्दा। कुरआन मजीद में कहा गया है ––

'' ऐ नबी! किताबवालों से कहो कि आओ हम–तुम एक ऐसी बात पर इत्तिफ़ाक कर लें जो हमारे और तुम्हारे बीच एक सी ह ै(यानी जो तुम्हारे नबी भी बता गऐ हैं और खुदा का नबी होने की हैसियत से मैं भी वही बातें कहता हूँ)। वह बात यह है कि एक तो हम अल्लाह के सिवा किसी के बन्दे बनकर न रहें, दूसरे यह कि ख़ुदाई में किसी को शरीक न करें और तीसरी बात यह है कि कोई इनसान किसी इनसान को अपना मालिक

और अपना आक़ा न बनाए। ये तीन बातें अगर वे नहीं मानते तो उनसे कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुसलमान हैं, यानी इन तीनों बातों को मानते हैं।

(कुरआन,3:6.4)

फिर फरमाया–

यानी, क्या वे ख़ुदा की इताअत के सिवा किसी और की इताअत चाहतें है? हालॉकि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ चाहे न चाहे ख़ुदा की इताअत कर रही है और सबको उसी की तरफ़ पलटना है। **(कुरआन,3:8.3)**

इन दोनों आयतों में एक ही बात बयान की गई है। यानी यह कि असली दीन ख़ुदा की इताअत और फ़रमाँबरदारी है। ख़ुदा की इबादत के मानी ये नहीं है कि बस पॉच वक़्त उसके आगे सजदा कर लो। बल्कि उसकी इबादत के मानी ये हैं कि रात–दिन में हर वक़्त उसके हुक्म की इताअत करो, जिस चीज़ से उसने रोका है उससे रूक जाओं, जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया है उसपर अमल करो। हर मामले में यह देख कि खुदा का हुक्म क्या है, यह न देखो कि तुम्हारा अपना दिल क्या कहता है, तुम्हारी अक़्ल क्या कहती है, बाप–दादा क्या कर गए हैं, खानदान और बिरादरी की क्या मर्ज़ी है, जनाब मौलवी साहब क़िबला और जनाब पीर साहब क़िबला क्या फ़रमाते हैं और फलाँ साहब का क्या हुक्म है और फ़लाँ साहब की क्या मरज़ी है? अगर आपने खुदा के हुक्म को छोड़कर किसी की भी बात मानी तो मानों खुदा की खुदाई में उसको शरीक किया, उसको वह दर्जा दिया जो सिर्फ़ ख़ुदा का दर्जा है। हुक्म देने वाला तो सिर्फ़ खुदा है। कुरआन में है––

हुक्म बस अल्लाह का है। **(कुरआन,6:5.7)**

बन्दगी के लायक़ तो सिर्फ वह है जिसने आपको पैदा किया और जिसके बलबूते पर आप ज़िन्दा हैं। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसी का हुक्म मान रही है। कोई पत्थर किसी पत्थर की इताअत नहीं करता, कोई पेड़ किसी पेड़ की इताअत नहीं करता, कोई जानवर किसी जानवर की इताअत नहीं करता। फिर क्या आप जानवरों और पेड़ों और पत्थरों से भी गए–गुज़रे हो गए कि वे तो सिर्फ़ ख़ुदा की इताअत करें और आप ख़ुदा को छोड़कर इनसानों की इताअत करें ? यह है बात जो कुरआन की इन दोनों आयतों में बयान की गई है।

गुमराही के तीन रास्ते–

अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुफ़्र और गुमराही दरअसल निकलती कहाँ से है। कुरआन पाक हमको बताता है कि इस कम्बख़्त बला के आने के तीन रास्तह हैं।

1. नफ़्स की बंदगी–

पहला रास्ता इनसान के अपने नफ़्स की ख़्वाहिशें और मन की इच्छाएँ हैं। कुरआन का फरमान है –

'' यानी , उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा, जिसने खुदा की हिदायत के बजाए अपने नफ़्स की ख़्वाहिश की पैरवी की, ऐसे ज़ालिम लोगों को खुदा हिदायत नहीं देता। **(कुरआन,28:50)**

'' यानी ऐ नवी! तुमने उस शख़्स के हाल पर गौर भी किया जिसने अपने नफ़्स की ख़्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है ? क्या आप ऐसे शख़्स की निगरानी कर सकते हैं ? क्या आप समझते हैं कि उनमें से बहुत से लोग सुनते और समझते है ? हरगिज़ नहीं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए–गुज़रे।

(कुरआन,25:43–44)

2. बाप–दादा की अंधी पैरवी–

गुमाराही के आने का दूसरा रास्ता यह है कि बाप–दादा से जो रस्म व रिवाज, जो अक़ीदे और खयालात, जो रंग–ढंग चले आ रहे हों, आदमी उनका गुलाम बन जाए और ख़ुदा के हुक्म से बढ़कर उनको समझे और अगर उसके ख़िलाफ ख़ुदा का हुक्म उसके सामने पेश किया जाए तो कहे कि मैं तो वही करूँगा, जो मेरे बाप–दादा करते थे और जो मेरे खानदान और कबीले का रिवाज़ है। जो शख़्स इस मर्ज में फंसा है वह खुद का बन्दा कब हुआ? उसके खुदा तो उसके बाप–दादा, उसके खानदान और क़बीले के लोग हैं। उसको यह झूठा दावा करने का क्या हक है कि मैं मुसलमान हूँ ? कुरआन करीम में इसपर भी बड़ी सख़्ती के साथ तंबीह की गयी है–

3. गैरूल्लाह की इताअत–

यह गुमराही के आने का दूसरा रास्ता था। तीसरा रास्ता कुरआन ने यह बताया है कि इनसान जब ख़ुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगता है और ख़याल करता है कि फ़लाँ शख़्स बड़ा इख़तियारवाला है, इसलिये उसकी फ़रमाबरदारी करनी चाहिए, या फ़लॉ साहब अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर देगें या अपने साथ जन्नत में ले जाएँगे, इसलिये जो वे कहें वही सही है, या फ़लाँ क़ौम

बड़ी तरक्की कर रही है, उसके तरीक इख़तियार करने चाहिएँ तो ऐसे शख़्स पर खुदा की हिदायत का रास्ता बन्द हो जाता है। कुरआन में है–

'' अगर तुमने उन बहुत से लोगों की पैरवी की जो ज़मीन में रहते हैं तो वे तुमको खुदा के रास्ते से भटका देंगे। **(कुरआन, 6:116)**

यानी आदमी सीधे रास्ते पर उस वक़्त हो सकता है जब जसका एक खुदा हो। सैकड़ो–हज़ारों ख़ुदा जिसने बना लिए हों, और जो कभी इस ख़ुदा के कहे पर और कभी उस ख़ुदा के कहे पर चलता हो, वह रास्ता कहाँ पा सकता है ?

अब आपको मालूम हो गया होगा कि गुमराही के तीन बड़े–बड़े सबब हैं––

एक– नफ़्स और मन की बन्दगी,

दूसरे– बाप–दादा और खानदान और कबीले के रिवाजों की बन्दगी।

तीसरे–आम तौर पर दुनिया के लागों की बन्दगी, जिनमें दौलतमंद और वक़्त के हाकिम लोग, बनावटी पेशवा और गुमराह क़ौमे, सब ही शामिल हैं।

ये तीन बड़े–बड़े बुत हैं, जो खुदाई के दावेदार बने हुए हैं। जो शख़्स मुसलमान बनना चाहता हो उसको सबसे पहले इन तीनों बुतों को तोड़ना चाहिए। फिर वह हक़ीकत में मुसलमान हो जायेगा। वरना जिसन ये तीनों बुत अपने दिल में बिठा रखे हो उसका ख़ुदा का बन्दा होना मुशकिल हौ। वह दिन में पसास वक़्त की नमाज़ें पढ़कर और दिखावे के रोज़े रखकर और मुसलमानों जैसी

मुसलमानों की हालत

भाइयों ! आज मैने आपके सामने जिन तीन बुतों का जिक्र किया है उनकी बन्दगी असली शिर्क है। आपने पत्थर के बुत छोड़ दिए, ईंट और चूने से बने हुए बुतख़ाने ख़त्म कर दिये, मगर सीनों में जो बुतखाने बने हुए हैं उनकी तरफ़ कम ध्यान दिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बल्कि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त इन बुतों को छोड़ना है। यक़ीन कीजिए कि सारी दुनिया और खुद इस हिन्दुस्तान में मुसलमान जिस क़द्र नुक़सान उठा रहे हैं, वह इन्हीं तीन बुतों की पूजा का नतीजा है। आपकी तबाही, आपकी ज़िल्लत और मुसीबत की जड़ यही तीन चीजें हैं जो आपने अभी मुझसे सुनी।

ज़ात–पात का फ़र्क–

- आपमें राजपूत हैं, मुगल हैं, जाट हैं, अफ़गान है और बहुत सी क़ौमे हैं इस्लाम में इन सब क़ौमों को एक कौम, एक दूसरे का भाई, एक पक्की दीवार बनने के लिए कहा था, जिसकी ईंट से ईट जुड़ी हो।
- ज़बान से आप एक दूसरे को मुसलमान भाई कहते हैं मगर हकीकत में आपके बीच वही सब भेद–भाव हैं, जो इस्लाम से पहले थे। इस भेद–भाव ने आपको एक मजबूत दीवार नहीं बनने दिया, आपकी एक–एक ईंट अलग है।
- इसका जवाब ख़ुदा की तरफ से क्या मिलता है ? बस यही कि आप न तोड़ो इन रिवजों को, न छोड़ो जाहिलाना रस्मों की पैरवी को, हम भी तुमको टुकड़े–टुकड़े कर देंगे और तुम्हारी तादाद बहुत बड़ी होने के बावजूद तुमको रूसवा और बेइज़्जत करके दिखाएँगें।